संख्या-8/2020/1199/58-1-20-2/1(41)18

प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य पोषण मिशन,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 21 अप्रैल, 2020

विषय : पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) का प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु गठित स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट तथा ब्लाक व जनपद स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करने हेतु पदों का सृजन एवं चयन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-39/2019/440/60-2-19-2/1(41)18 दिनांक 25.07.2019, जिसके द्वारा पोषण अभियान के अन्तर्गत स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट तथा जनपद एवं ब्लाक स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करने हेतु स्वीकृत मानव संसाधन के पदों को भरे जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं, को निम्नवत् संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-39/2019/440/60-2-19-2/1(41)18 दिनांक 25.07.2019 के प्रस्तर-6 चयन प्रक्रिया में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

(1) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019 दिनांक 18.12.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग आफ मैनपावर) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस की व्यवस्था को लागू किया गया है। उक्त के क्रम में पोषण अभियान के अन्तर्गत स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के विभिन्न पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस की निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत मिशन स्तर पर कार्मिकों की भर्ती हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है :-

1. निदेशक, राज्य पोषण मिशन- अध्यक्ष
2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा नामित अधिकारी- सदस्य
3. निदेशक (वित्त), राज्य पोषण मिशन- सदस्य
4. अधिशासी निदेशक, टी0एस0यू0 द्वारा नामित प्रतिनिधि- सदस्य
5. सम्बन्धित योजना प्रभारी- सदस्य सचिव।

इसी प्रकार जनपद स्तर एवं ब्लाक स्तर के पदों को भरे जाने हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है :-

1. जिलाधिकारी- अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी- सदस्य
3. उप जिलाधिकारी-शहर/जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी- सदस्य
4. कोषाधिकारी/कोषागार द्वारा नामित अधिकारी- सदस्य
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी- सदस्य सचिव।

उक्त दोनों समितियां कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप कार्य करेंगी।

(2) शासनादेश संख्या-39/2019/440/60-2-19-2/1(41)18 दिनांक 25.07.2019 के प्रस्तर-7 ''तैनाती अवधि'' को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

सेवा प्रदाता एजेंसी से चयनित अभ्यर्थी को अपने योगदान के समय सम्बन्धित कार्यालय के नियंत्रक अधिकारी को सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, समस्त सम्बन्धित योग्यता प्रमाण-पत्र तथा सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण-पत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर तैनाती 31 मार्च 2021 तक के लिए किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार अथवा भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार तैनाती अवधि बढ़ायी जा सकती है। कार्यहित में यदि ऐसा प्रतीत होता है कि चयनित अभ्यर्थी कुशलता के मापदण्ड पर कार्य करने में असमर्थ है, तो उसे एक माह की अग्रिम नोटिस देकर कार्य से विमुक्त किया जा सकता है अथवा नियंत्रक अधिकारी अथवा जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा यदि कभी अभ्यर्थी की कार्यकुशलता अथवा गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है, तो सेवा प्रदाता एजेंसी को प्रतिकूल टिप्पणी के 01 माह के अन्दर दूसरे अभ्यर्थी को चयनित कर भेजना होगा।

(3) शासनादेश संख्या-39/2019/440/60-2-19-2/1(41)18 दिनांक 25.07.2019 का प्रस्तर-8 विलोपित किया जाता है।

2- शासनादेश संख्या-39/2019/440/60-2-19-2/1(41)18 दिनांक 25.07.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।

3- स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (एस0पी0एम0यू0), जनपद एवं ब्लाक स्तर पर समस्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को 01 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
उप सचिव।

संख्या-8/2020/1199(1)/58-1-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1

5- वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।

6- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।

7- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।